सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 300/17 **निर्णय दिनांकः 15.01.2018**

1. रणजीत सिंह उर्फ रणवीर सिंह जाति राजपूत निवासी पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 22–05–2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री हरीश व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 22–05–2003 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में आवंटनशुदा रकबा आवंटित कर दिया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटान द्वारा

अदालत मातहत के समक्ष भूमिहीन श्रेणी के आवंटन के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 22–05–2003 को आवंटन का पात्र घोषित करते हुए आवंटन सलाहकार समिति की राय से वाके रोही अमरपुरा के खसरा नम्बर 94/3 में 27.06 बीघा भूमि आवंटन के आदेश जारी कर दिये गये। अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्रदान नहीं किया गया क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही वन विभाग को आवंटित भूमि थी। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखते हुए वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होन के कारण निरस्त योग्य है। चूंकि अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जो पूर्व में ही वन विभाग को आरक्षित भूमि थी ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त भूमि प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे। उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–05–2003 के विरूद्व अपील दिनांक 19–09–17 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–05–2003 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 19–09–2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए

विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि उसके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर खसरा नम्बर 94/3 में 27.06 बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। चूंकि उक्त भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित होने के कारण अपीलांट को वादगत् भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सकता।

(3) हमने अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन किया। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि अपीलांट को दिनांक 22–05–2003 को आराजी जैर का आवंटन होना साबित नहीं है। वरन् उक्त भूमि अपीलांट को वर्ष 1966 मे टीसी आवंटन हुई थी। उक्त आवंटन अदालत मातहत द्वारा दिनांक 03–06–1969 की आदेशिका के अनुसार जॉच व रिकार्ड से प्रार्थी अलोटी सवंत् 202 का होना पाया जाता है। जो नियमानुसार सही नहीं है। क्योंकि राजस्थान नहर परियोजना में राजस्व अधिकारियों को इस प्रकार किये गये भूमि आवंटन को मान्यता नहीं है।

(4) अदालत मातहत द्वारा इस आधार पर गांव अमरपुरा के खसरा नम्बर 94/3 की 27.06 बीघा भूमि के नवीनीकरण नहीं करते हुए अपीलांट का टीसी आवंटन निरस्त किया गया है। यहॉ यह उल्लेखनीय है जब अपीलांट को उक्त भूमि का दिनांक 22–05–2003 को आवंटन ही नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व अपील किया जाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट द्वारा अदालत हाजा के समक्ष इस आधार पर अपील की गई है कि अपीलांट को दिनांक 22–05–2003 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया था जबकि अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई आवंटन होना या आवंटन से संबंधित दस्तावेज नहीं पाये गये है जिससे प्रतीत हो कि अपीलांट को उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 22–05–2003 को किया गया हो।

(5) अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट न्यायलय के स्वच्छ हाथों से नहीं आये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन कि उसे वादगत् भूमि का आवंटन भूमिहीन के तौर पर दिनांक 22–05–2003 को किया गया था तथा उक्त भूमि वन विभाग के लिए आरक्षित है। स्वीकार योग्य नहीं है। चूंकि अपीलांट को उक्त भूमि का आवंटन

भूमिहीन के तौर पर ना होकर वर्ष 1966 में टीसी आवंटन के तहत किया गया था तथा उक्त आवंटन अदालत मातहत की पत्रावली के अनुसार 03–06–1969 को खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील क माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर